संख्या-14/2021/4945/71-2-21-के0जी0एम0यू0-46/2015

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 05 फरवरी, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ में आर्गन ट्रांस्प्लान्ट फेज-2 की स्थापना के अंतर्गत फर्नीचर, इक्यूपमेन्ट, कन्ट्रोल पैनल एवं नर्स काल सिस्टम हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक- 4627/योजना अनु0/2019, दिनांक 17.07.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ के शताब्दी फेज-1 के तृतीय तल पर आर्गन ट्रांस्प्लान्ट आई0सी0यू0 की स्थापना के अंतर्गत फर्नीचर, इक्यूप्मेन्ट, कन्ट्रोल पैनल एवं नर्स काल सिस्टम हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- किंग जार्ज जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ में आर्गन ट्रांस्प्लान्ट आई0सी0यू0 के स्थापना हेतु शासनादेश संख्या 06/2018/5652/71-2-17-के0जी0एम0यू0-46/2015, दिनांक 17.01.2018 के द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा मूल्यांकित/पुनरीक्षित लागत रू0 525.59 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। तत्क्रम में विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से समस्त धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ में आर्गन ट्रांस्प्लान्ट आई0सी0यू0 निर्माण प्रायोजना के प्रस्तावित पुनरीक्षित आगणन का मूल्यांकन रू0 525.59 लाख करते हुए प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित फर्नीचर, इक्यूपमेन्ट, कन्ट्रोल पैनल एवं नर्स काल सिस्टम इत्यादि के संबंध में व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.11.2017 में यह निर्देश दिए गए कि 'प्रायोजना में प्रस्तावित हास्पिटल फर्नीचर व क्लीनिंग इक्यूपमेंट, माडुलर आई0सी0यू0 हेतु कन्ट्रोल पैनल, नर्स काल सिस्टम, एक्स-रे स्क्रीन एवं फ्लोरेशेन्ट लैम्प की आवश्यकता, औचित्य, स्पेसिफिकेशन एवं लागत के संबंध में प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाय। यह समिति हास्पिटल फर्नीचर व क्लीनिंग इक्यूपमेंट, माडुलर आई0सी0यू0 हेतु कन्ट्रोल पैनल, नर्स काल सिस्टम, एक्स-रे स्क्रीन एवं फ्लोरेशेन्ट लैम्प की आवश्यकता, औचित्य, स्पेसिफिकेशन एवं लागत के संबंध में परीक्षण कर स्वयं संतुष्ट हो लेगी। प्रायोजना में हास्पिटल फर्नीचर व क्लीनिंग इक्यूपमेंट, माडुलर आई0सी0यू0 हेतु कन्ट्रोल पैनल, नर्स काल सिस्टम, एक्स-रे स्क्रीन एवं फ्लोरेशेन्ट लैम्प हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आकलित लागत रू0 82.01 लाख की सीमा के अंतर्गत उक्त समिति जो लागत संस्तुत करेगी, उस सीमा तक प्रायोजना की लागत संशोधित समझी जायेगी। प्रायोजना की संशोधित लागत हेतु प्रायोजना को पुन: व्यय वित्त समिति के समक्ष लाये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।'

4- व्यय वित्त समिति द्वारा उक्तानुसार दिए गए निर्देश के क्रम में प्रस्तावित कार्यमदों की आवश्यकता, औचित्य, स्पेशिफिकेशन एवं लागत का परीक्षण किए जाने हेतु प्रमुख सचिव (सम्प्रति अपर मुख्य सचिव) चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 26.11.2019 (कार्यवृत्त संलग्न)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

को सम्पन्न हुयी। समिति द्वारा प्रस्तावित विभिन्न कार्यमदों की लागत रू0 50.30576 लाख मूल्यांकित/अनुमोदित की गयी।

5- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के आर्गन ट्रांस्प्लान्ट आई0सी0यू0 की स्थापना हेतु पुनरीक्षित अनुमोदित लागत रू0 525.59 लाख एवं व्यय वित्त समिति द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में गठित समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 50.30576 लाख को सम्मिलित करते हुए प्रायोजना की लागत रू0 575.89576 लाख (पॉच करोड पचहत्तर लाख नवासी हजार पॉच सौ छिहत्तर) की संशोधित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0, लखनऊ हेतु '24-वृहद निर्माण कार्य' में प्राविधानित धनराशि से धनराशि रू0 50.30576 लाख (अनुदान संख्या 31 से रू0 42.12163 लाख तथा अनुदान संख्या-83 से रू0 08.18413 लाख) अवमुक्त किए जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1) कुलसचिव, के0जी0एम0यू0/कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त कार्यमदों के संबंध में नियमानुसार समस्त वैधानिक आपत्तियां एवं तकनीकी स्वीकृतियॉ सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यवाही की जायेगी।
2) प्रायोजना में उक्त प्रस्तावित मात्राओं की स्थापना समय से सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 का होगा।
3) जो आईटम जेम्स पोर्टल पर उपलब्ध है, उनका प्रोक्योरमेंट जेम्स पोर्टल से किया जाय तथा जेम्स पोर्टल पर अनुपलब्ध कार्यमद/आईटम का क्रय-स्थापना नियमानुसार ई-टेण्डर के माध्यम से किया जाएगा।
4) प्रश्नगत कार्यमदों के संबंध में सुसंगत वित्तीय नियमों, उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेंट/गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (Gem) पोर्टल से सम्बन्धित समस्त शासनादेशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5) प्रायोजना में प्रस्तावित किसी कार्य-मद की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से कुलसचिव, के0जी0एम0यू0/निर्माण एजेन्सी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत था न तो वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त के अतिरिक्त इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गयी है।
6) प्रायोजना में प्रस्तावित कार्य कुलसचिव एवं सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के पर्यवेक्षण में किया जायेगा तथा गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व, कुलसचिव एवं संबंधित विभागाध्यक्ष का होगा। गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कुलसचिव, के0जी0एम0यू0, लखनऊ का होगा।
7) प्र0वि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24.03.2020 (यथासंशोधित) में दी गयी अवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8) प्रायोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्त/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।
9) धनराशि का एकमुश्त आहरण नहीं किया जायेगा। आवश्यकतानुसार किश्तों में आहरण किया जायेगा। आहरित धनराशि किसी बैंक/डाक घर आदि में नहीं रखा जायेगा।
10) कार्यदायी संस्था को दो माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी। विभागाध्यक्ष, कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07.04.2020 के प्रतिबन्धों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संबंधित वित्त नियन्त्रक का होगा।

4- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अवमुक्त धनराशि अनुदान संख्या-31 से रू0-42.12163 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-031-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-06-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

6- प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अवमुक्त धनराशि रू0 08.18413 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-083-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-31-के0जी0एम0यू0, लखनऊ-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-125/दस-2021, दिनांक 25/1/2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्या-14/2021/4945(1)/71-2-21-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
7. महाप्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Filename:	14
Directory:	C:\Users\me-2\Documents
Template:	C:\Users\me-2\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:	
Subject:	
Author:	ajai
Keywords:	
Comments:	
Creation Date:	3/8/2021 4:19:00 PM
Change Number:	2
Last Saved On:	3/8/2021 4:19:00 PM
Last Saved By:	me-2
Total Editing Time:	1 Minute
Last Printed On:	3/8/2021 4:19:00 PM

As of Last Complete Printing

Number of Pages:	4
Number of Words:	1,201 (approx.)
Number of Characters:	6,852 (approx.)